# फर्द अहकाम

(नियम–26)

## अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

**रतनी देवी उर्फ रतन देवी पत्नि भगवतीलाल स्वर्णकार निवासी हथियाना वगैरा**

**बनाम**

**मोहनलाल पिता हमेर खटीक निवासी हथियाना, तहसील कपासन वगैरा**

**प्रकरण संख्या 20/2021 (नि.पं.)**

| तारीख हुक्म | *हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज* | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16.08.24 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकारगण आज भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 उपस्थित। अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 ने दस्तावेज पेश किए जिनकी प्रतियां अधिवक्ता निगराकारगण को उनके द्वारा दिनांक 30.07.2024 को ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। रूक–रूक कर तीन–चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकारगण तथा उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 ने आपत्ति करते हुए निवेदन किया कि अधिवक्ता निगराकारगण ने प्रकरण में पिछले तीन वर्षो से स्थगन ले रखा है तथा तारीख पेशियों पर जान–बुझकर उपस्थित नहीं होते हैं पेशी दिनांक 05.07.2024 पर भी उनके अनुपस्थित रहने पर मेरे द्वारा आपत्ति की गई थी जिस पर उन्हें बहस हेतु अनिवार्यतः उपस्थित होने के निर्देश दिए थे उसके बावजूद भी आज भी उपस्थित नहीं हुए हैं। रूक–रूक कर न्यायालय समय में पुनः आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकारगण तथा उसके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। | |